(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether it is a fact that many State Government are flouting the norms specified by (the Indian Medical Council in establishing medical colleges; and

(d) if so, what steps Government pro pose *to* take to rectify this anomaly?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) to (d) The proposed amendment to Indian Medical Council Act, *interalia,* provide for the establishment of an Ethics and Disciplinary Committee which will function as an Appellate authority in respect of disciplinary cases decided by the State Medical Councils.

At present, prior permission of the Medical Council of India is not required to start a medical college. Hence, some medical colleges without appropriate facilities have been set up during the last few years. In order to plug this loophole, it is proposed to suitably amend the Indian Medical Council Act, 1956, which provides for obtaining the prior permission of the M.C.L/Govt. of India before establishing a medical college

स्वतंत्रता सेनानियों के रक्त संबंधियों के लिए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में आरक्षण

4413. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्रों, पुत्रियों और पौत्रों/पौत्रियों के प्रवेश के लिए कोटा आरक्षित किया गया है ;

(ख) प्रत्येक महाविद्यालय में ऐसे व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कोटा है ;

(ग) ऐसे महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ; और

(घ) 1992 में किन-किन महाविद्यालयों में स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्रों/पुत्रियों और पौत्रों को प्रवेश दिया गया और प्रत्येक महाविद्यालय में ऐसे कितने व्यक्तियों को प्रवेश दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) देश में केन्द्रीय सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों/आश्रितों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए राज्य मेडिकल कालेज में दाखिले हेतु आरक्षण सीधे राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी नीतियों के अनुसार किया जाता है।

Patients treated by the hospitals! run by Delhi Administration

4414. SHRI SUBRAMANIAM SWAMY:
SHRI RAM GOPAL *YADAV:*

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of hospitals which arc run by the Delhi Administration in Delhi;

(b) what arc the details of patients treated in these hospitals during the last three years as out-patients and in-patients;

(c) whether the Ministry have assessed any demand for health services in Delhi;

(d) what would be the required number of beds in hospitals during the next three years; and

(e) the steps being taken to meet 'his demand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) Delhi Administration is running 12 hospitals in the city.

(b) A statement showing the number of patients treated in each of the hospital run by Delhi Administration during the last three years is enclosed as Annexure. *[See* Appendix CLXIV, Annexure No. 72]

(c) Assessment of health care requirements is an ongoing exercise. The requirements is reflected in the Annual Plans and Five Year Plan of the respective States/Union Territories, including Delhi

(d) and (e) There are no universally applicable standards of population bed ratio. However, for the improvement of health facilities in the Capital', Delhi Administration has planned to provide health care facilities through the establishment of eight more hospitals during the Eighth Five Year Plan.

वेश्याओं को "एड्स" मुक्त होने का प्रमाण-पत्र दिया जाना

4415. **डा० बापू कालदाते :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एड्स" की रोकथाम करने के लिए कुछ देशों ने वेश्यावृत्ति के पेशे में लगी हुई महिलाओं की समय-समय पर चिकित्सीय जांच करके उन्हें "एड्स" मुक्त होने का प्रमाण-पत्र देना शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार भी वेश्यावृति के पेशे में लगी हुई तथा "एड्स" वाइरस से पीड़ित महिलाओं को ऐसा ही प्रमाण-पत्र जारी करेगी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। देह का व्यापार करने सम्बन्धी पद्धति को कानूनी मान्यता न देने से अनिवार्य जांच निर्धारित करना संभव नहीं है। इसके अलावा एच० आई० वी० संक्रमण को नियन्त्रित करने सम्बन्धी ऐसे उपायों की प्रभावकारिता संदेहास्पद है।

प्राइवेट मेडिकल कालेजों द्वारा कैपीटेशन फीस प्रभारित करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

4416. **डा० येलामर्नचिली शिवाजी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा प्राइवेट दंत चिकित्सा कालेजों को कैपीटेशन फीस लेने की अनुमति प्रदान कर देने के रवैये पर पुनर्विचार करने का परामर्श देने के संदर्भ में कोई पहल की गयी है यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निहित प्रभावों की जांच की जा रही है।

Isolation of BiologiacI compound from marine plant for treatment of AIDS

4417. SHRI SOM PAL:

DR. NAUNIHAL SINGH:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that scientists of Dr. Aim Post-graduate Institute of Basic Medical Sciences, Madras have successfully isolated a biological compound from a marme plant for treatment of AIDS; and

(b) if so, what steps are proposed to be taken to verify the findings and produce the remedy on commercial scale?"